तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	आ… हुक्म में जा…
12/7/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाज दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी। मौका मुआयना किया जाकर स्कूल न्यायालय बुलाया गया। मौका की पालना तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 59 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. खंगारा पुत्र पैलाद
2. रूपा पत्नि पैलाद
3. हमीरा पुत्र पैलाद
4. हीरा पुत्र पैलाद
5. महादेवा पुत्र वगता

   जाति रबारी निवासी गान्धव खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गैरा पत्नी मोडा पिता सोना
2. मानी पत्नी उदा पुत्री सोना जाति रबारी
3. चूनीदेवी पत्नी जालाराम
4. दिनेशकुमार पुत्र जालाराम
5. भगवानाराम पुत्र जालाराम
6. मथरोदेवी पत्नी जालाराम
7. सोहनलाल पुत्र सोनाराम जाति नाई
8. मोडा पुत्र वागा जाति कलबी

   निवासी गान्धव खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा धोरीमना
10. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई. शाखा रामजी का गोल
11. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.07.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री [illegible]राम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार संवत 2073–2076 [illegible]बदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा गांधव खुर्द के खेत खसरा नम्बर 493 / 155 रकबा 2.8733 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी